न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

NEWS LETTER

Inaugural Issue

January-April 2014

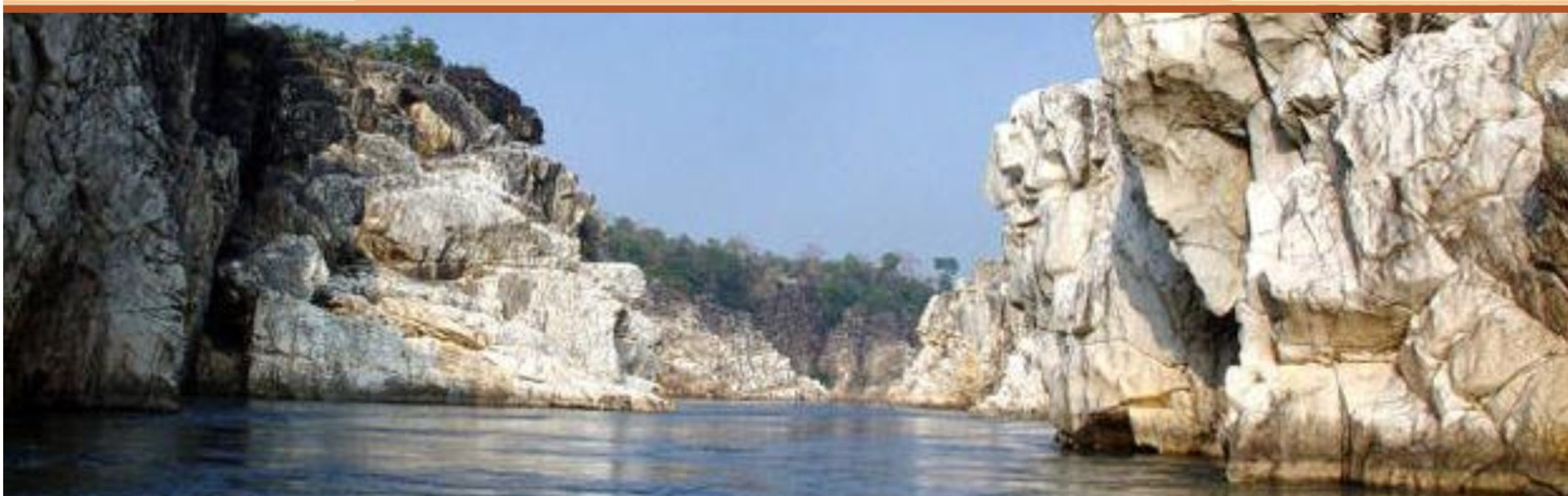

Serenity, Sanctity and Sagacity-----River Narmada flowing between the Marble Rocks, Bhedaghat, Jabalpur

Message

THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
सत्यमेव जयते

The launch of this inaugural issue of the News Letter fulfills a long standing need of M.P. State Legal Services Authority to disseminate information to litigants and public at large about its multifaceted activities.

I am confident that through the medium of News Letters we shall effectively reflect the various schemes and programmes and their conduct under the aegis of SLSA from time to time. More over it would help the public at large to connect with the schemes of Legal Services Institutions and thereby fulfill an important constitutional mandate.

My best wishes and hearty congratulations for spreading awareness through this News Letter.

Justice A.M. Khanwilkar
Chief Justice, High Court of M.P. &
Patron-in-Chief, MPSLSA

Foreword

न्याय सब के लिए
ACCESS TO JUSTICE FOR ALL

I am immensely pleased on the launch of this inaugural issue of the News letter. ***'From Ignorance To Enlightenment'*** is the vision of Access to Justice for all.

MP State Legal Services Authority is making concerted efforts to create legal awareness amongst the masses and to provide legal aid to the marginalized sections of society.

I would like to congratulate all the concerned staff of the M.P.SLSA and give my good wishes on the occasion of this inaugural issue which will serve as a valuable source of information on legal aid.

Justice Ajit Singh
Judge, High Court of M.P. &
Executive Chairman, MPSLSA

Introductory Note

It is worth mentioning that M.P. State Legal Services Authority is publishing a News Letter which will be proved as a mile stone for the people who are deprived of Justice as well as for them who are a part of this chain. This News Letter comprises various programme and activities conducted by various Legal Services Institutions of the State. This will be an efficient means of communication among the people of various sections.

I am extremely happy to state that under the able guidance of Hon'ble the Chief Justice and the Hon'ble Executive Chairman, SLSA has formulated a complete scheme and set up a mediation action plan which is one of the important modes of the ADR mechanism. Under the guidance of Hon'ble Lordships, SLSA has published a Handbook and Action Plan on Mediation which will provide all relevant information regarding mediation. Apart from this, I am congratulating all my legal fraternities , they have encouraged me and shared with me their valuable suggestions.

Dinesh Kumar Naik,
Member Secretary

From the editors pen

It is a privilege to be associated with this Newsletter. Under the dynamic leadership of Hon'ble Shri Justice A.M. Khanwilkar, Chief Justice of M.P. High Court and Patron-in-Chief, M.P.SLSA and the guidance of Hon'ble Shri Justice Ajit Singh, Administrative Judge the Chairmen, District Legal Services Authorities are working relentlessly to fructify the innovative schemes of NALSA, M.P. High Court and Executive Chairman, MPSLSA. This attempt to condense in text form the work executed by the authorities at the district and Tehsil Levels in letter and spirit is truly daunting. Nevertheless through these quarterly issues we shall make an honest attempt to give a birds eye view of major activities, relevant statistics and forthcoming events. We also aspire to serve the useful purpose of disseminating and sharing information in furtherance of our quest to reach out to the needy and underprivileged.

Candid opinions and suggestions for improvement in content or text shall be truly welcome.

Mrs. Giribala Singh,
Deputy Secretary

Mediation Schemes Take Off With a Cascading Effect!

Mediation as a tool for establishment of a society surging towards an environment for peace and harmony has taken off across the State of MP under the able guidance of Hon'ble the Chief Justice all over the State of MP.

Today We have established **26** Mediation Centres throughout the State of which **13** Mediation centres were established in the year 2013-14 namely, Satna, Mandsaur, Morena, Betul, Vidisha, Narsinghpur, Hoshangabad, Alirajpur, Datia, Katni, Singrauli, Jhabua and Ratlam. During this year, building construction of **03** ADR centres namely Morena, Khandwa and Dhar have been completed and in **36** districts, the buildings of ADR centres are under constructions. The proposal for administrative approval for **07** ADR centres has been sent to the State Govt. which is under consideration.

The State Legal Services Authority has conducted in all 36, Forty hours Mediation Training

Mediation Awareness Programme-

"An ounce of mediation is worth a pound of arbitration and a ton of litigation!" Joseph Grynbaum

Hon'ble Shri Justice S.K. Gangele , Judge , M.P. High Court and co-chairman, HCLSC Bench, Gwalior enlightening the gathering, Mediation Awareness Programme, Gwalior

Programmes in which total **757** participants have received training. Apart from this, we have conducted 10 two day's Mediation Awareness Programmes at Singrauli, Chhatarpur, Gwalior, Satna, Neemach,

Chhindwara, Datia, Ujjain, Bhopal and Guna districts in the last financial year. In all **1349** participants have received the awareness programme in which **281** Judges, **849** Advocates, **110** mediators and **109** Law students were the participants.

It is hearting to note that between the period 2007-08 to 2012-13 only 322 cases were successfully disposed through mediation were while the number of successful cases through the mediation in the year 2013-14 alone is around 350! So much for the mediation effect.

Mediation Training Programme-
LET US WALK THE TALK!

Master Trainer Shri Sheo Kumar Sharma
Addressing a Mediation Training Session in Jabalpur

Total Functional Mediation Centres across the State	High Court Mediation Centre Jabalpur, H.C.L.S.C. Indore, H.C.L.S.C. Gwalior, Family Court Jabalpur, Districts-Bhopal, Jabalpur, Indore, Sagar, Gwalior, Rewa, Guna, Chhindwada, Shahdol, Satna, Mandsaur, Morena, Betul, Vidisha, Narsinghpur, Hoshangabad, Alirajpur, Datia, Katni, Singrauli, Jhabua, Ratlam.

1.	Number of 40 Hours Mediation Training Programme conducted	36
	i. Orientation Course for Hon'ble H.C. Judges	2
	ii. Refresher Course for Judges Conducted.	4
2.	Total number of mediators who have undergone 40 Hours Mediation Training under the aegis of the MCPC i.e.	757
	2 (a) Number of Judges trained as Mediators	307
	2 (b) Number of Advocates trained as Mediators	340
	2 (c) Number of persons other than 2(a) and 2(b) trained as Mediators	110
3.	No. of Referral Judges Training	26
4.	No. of Trained Referral Judges	541

Glimpses of Other Mainstream Events

S(MILES) OF RADIANCE

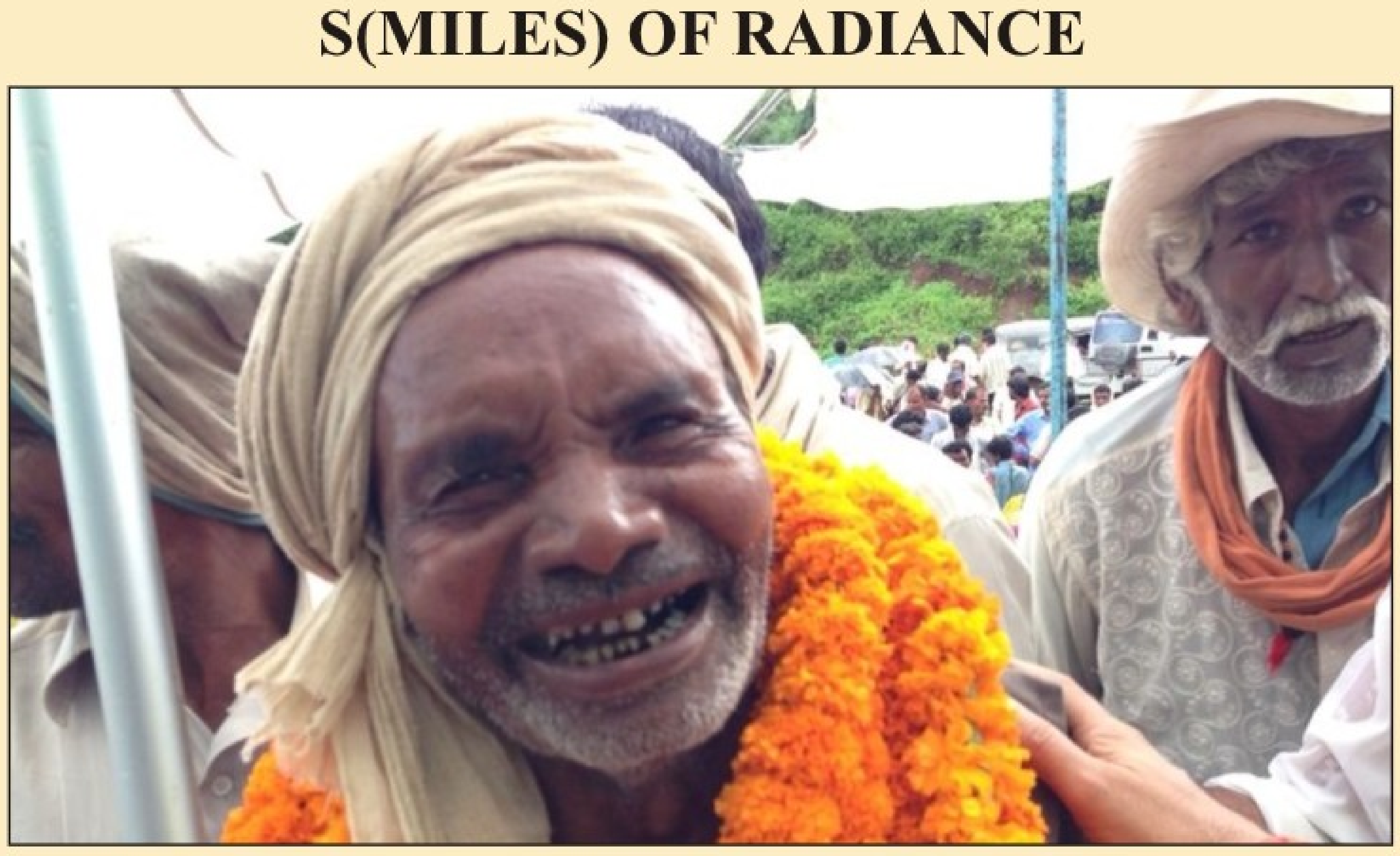

A beneficiary in the Mega Literacy & Awareness Programme, Rewa

THE HEALING PRESENCE!

Hon'ble Shri Justice Ajit Singh, Judge, M.P. High Court & Executive Chairman MPSLSA, interacting with old and infirm prisoners at S.C. Bose Central Jail, Jabalpur on 26-04-2014

To be understood as to Understand- it is in giving that we receive !

- Mother Teresa

District Rewa again - A Legal Literacy Camp where the beneficiaries were village folk awaiting redressal of their grievances

सचल विधिक सेवा वाहन द्वारा विधिक ज्ञान का प्रचार–प्रसार

Keep listening, you are bound to understand!

Workshop in collaboration with IG Police (Women Cell) & DLSA Rewa, Police Community Hall, District, Rewa

Creating Awareness

Legal Aid Camp District Morena

I don't have a dis-ability, I have a different-ability

AMAZING GRACE- Translating Disability into Ability;
handing over a Tri-Cycle to a handicapped girl,
Legal Aid Camp, Barman, Narsinghpur

Reflecting faith of the public at large

Legal Literacy and Awareness Camp at
District Damoh in all its magnitude and splendor!

जन–जन की यही पुकार–सुलभ न्याय हमारा अधिकार

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पन्ना द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर –नारी शक्ति

Monitoring issues related to Children in Conflict With Law, Children in Need of Care & Protection

SLSA in co-ordination with the Monitoring Committee for Implementation of the Juvenile Justice Act and Rules, is committed to ensuring that the various arms of the Government are sensitive to the needs of children.

Juvenile Justice Boards, Child Welfare Committees and Special Juvenile Police Unit have been established in all the districts of Madhya Pradesh (Except newly formed district of Agar Malwa).

District Advisory Board has also been established in all 50 districts headed by the District Collector which will also work as District Child Protection Unit. 'Child Line' is functional in 22 districts across the State of Madhya Pradesh and an additional help line 1090 is functional for women and children in distress. Visitors of the rank of Additional District Judge have been appointed in all districts for regularly monitoring the conditions of 'Homes' under the Act while the Principal Magistrates have been sensitized through various training programmes to effectively dispose matters and dispense justice in accordance with the provisions of the Juvenile Justice Act, 2000 and Rules, 2007.

CONFIDENCE IS JUST A CLAP AWAY-
If a child lives with encouragement he learns to be confident!

Celebrating Republic day with the Children at 'Balghar', Jabalpur.

MIGHTY OAKS FROM LITTLE ACORNS GROW

Children in need of care and Protection enacting a role play of our Venerable Leaders, Balghar, Gokulpur, Jabalpur

GREETINGS TO ONE AND ALL……

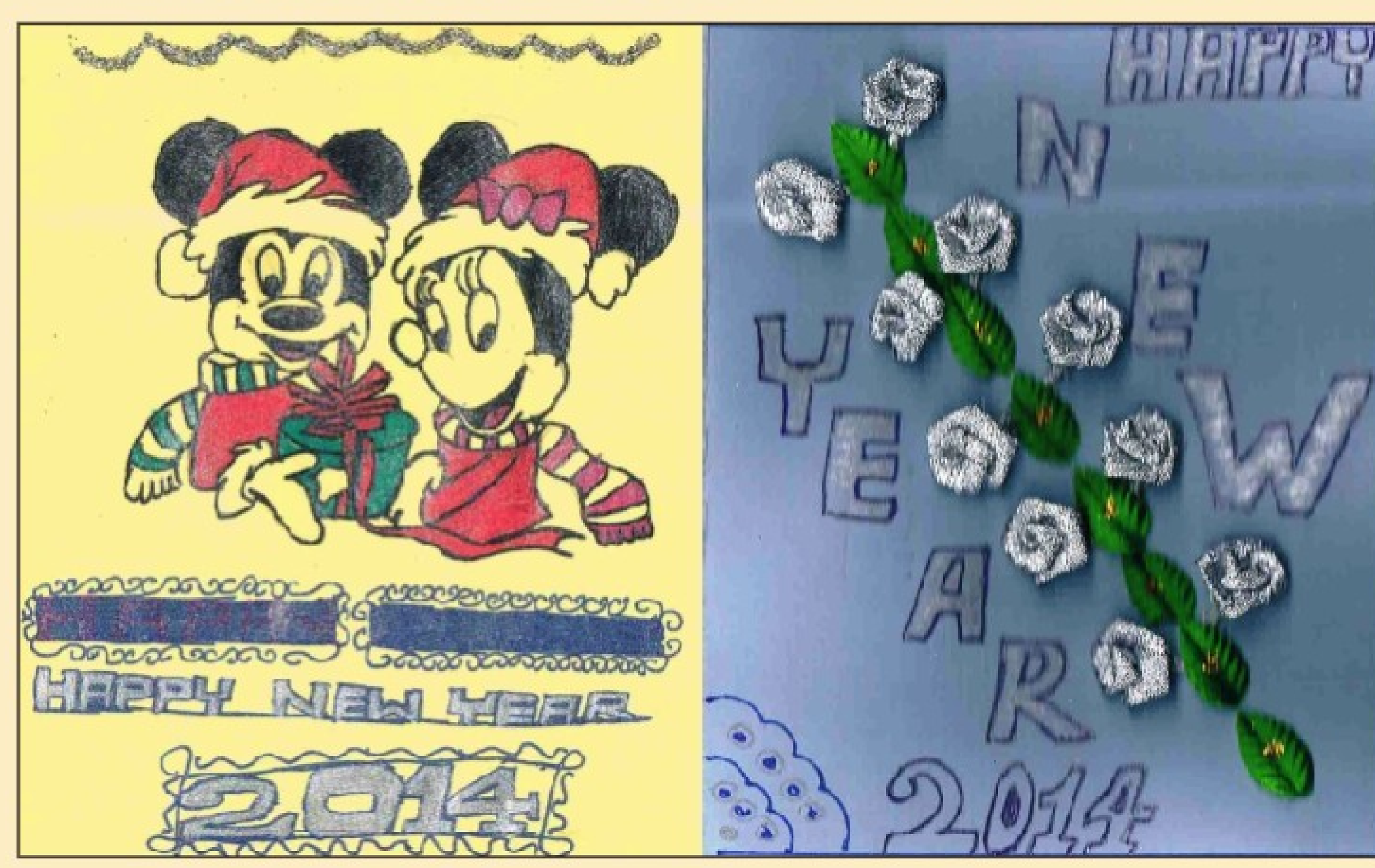

New Year Cards prepared by 'our children' with all the tender warmth of their souls! Nascent steps for the evolution of their abilities.

Reaching out to People through Various Lok Adalats

Financial Year (2013-14)	No. of Lok Adalat held	No. of settled cases
Permanent and continuous Lok Adalats	1415	47,345 Rs. 68,43,56,688/- (Awarded/excretal amount)
Lok Adalats in Jails	29	38
Lok Adalats for Public Utility Services	157	2633
LOK ADALAT FOR MGNREGA	39	174

National Lok Adalat and Special Mega Lok Adalat

The last National Lok Adalat was organized on 30 Nov 2013. This National Lok Adalate was a grand success not only in terms of largest number of disposal of cases, but also in terms of highest amount of recovery of revenue, tax and compensation amount. In this National Lok Adalat total 2003878 cases were disposed off and Rs. 6106211647/- were awarded and 2064107 persons were benefited through amicable settlement. Some achievements are elaborated below:-

(i)	Pending Civil Cases	17,549 Cases
(ii)	Pending Criminal cases	2,19,992 Cases
(iii)	Cases under Public Utility, **MPSIDC,** Consumer Forum Labour Court	14,112 Cases
(iv)	Pre-litigation category Family Court,Electricity, NI Act,Bank Cases Public Utility Service, Consumer Forum	4,90,134 Cases
(v)	Revenue cases/Revenue Matters for various reliefs	4,79,012 Cases
(vi)	Bhopal Gas Relief cases Compensation	575 Cases Rs. 12,38,80,000/ disbursed in 1531 persons are benefited.
(vii)	Cooperative Society/Co. Banks cases	4069 Cases Settled. Rs.1,35,42,679/- loan amount recovered.
(viii)	Municipal Corporation/ Nagar Palika/ Panchayat cases	419944 Cases Rs. 79,29,78,815/- as tax/penalty recovered.
(ix)	MACT cases pending	9185 Cases Rs. 97,84,88,819/- awarded.
(x)	NI Act pending and Pre litigation	12,155 pending Cases/914 Rs. 71,48,97,538/- cheque amount settled.
(xi)	Family Court, Matrimonial cases and Maintenance Cases (other than family Court)	3356 Cases

CITIZEN CENTRIC REDRESSAL FORUMS

As per guidelines of NALSA, initiative have been taken for effectively hearing complaints and grievances of citizens against the Govt. Departments, Govt. officials, revenue officials, public and private companies, financial institutions etc. by way of organizing pre-litigation Lok Adalats paving way to expeditious and inexpensive settlement of those matters without allowing them to mature into litigation in the regular Courts. Therefore, we have directed all the Govt. Departments to decide all the applications which are pending before them for grant of any relief as legal service matter and give expeditious relief to people.

In this Mega Lok Adalat, the total number of cases, disputes, applications for relief as Legal Service settled were 3484500 and 3719480 persons are benefited.

SPECIAL MEGA LOK ADALAT

Special Mega Lok Adalat for Electricity cases dated 21st Sep. 2013 Total 46,828 Cases settled and as Tax/Penalty Rs. 33,46,54,191/- were recovered.

LEGAL AID CLINICS

Under National Legal Services Authority (Legal Aid Clinic) Regulation, 2011, we have established Legal Aid Clinics in various districts of the State.

Established Legal Aid Clinic	No.
In District Headquater	30
In Tehsils	295
In Gram Panchayats	756
In Colleges	45
In Various Jails	22
Total	1148

MARCH OF THE PARALEGAL VOLUNTEER

Progress :

Under the direction of National Legal Services Authority, Para- Legal Volunteers Scheme is being implemented by the M.P.S.L.S.A.. State Authority has given direction to all District Legal Services Authorities and Tahsil Legal Services Committees to appoint para- legal volunteers and give them training accordingly. In M.P. 2105 PLVs have been trained by the DLSAs/TLSCs till 31st Jan, 2014 in which DLSA's/TLSC's have given work to 1018 PLVs in which 476 PLVs are working in Police Stations.

No. of PLVs trained

No. of PLVs trained		No of PLVs whose services are being utilized in the Legal Aid Clinics	No. of PLVs appointed in Police Stations (Under the direction of Hon. Supreme Court in ***Bachpan Bachao Andolan Vs UOI*** W.P.(c) 75/2012)	Total
Women	444			
Teachers	35			
Long term prisoners	100			
Student	500			
Social Worker	209			
Others	817			
Total	2105	541	476	1018

MOBILE LOK ADALAT VAN

Progress Report (April 2013 to March 2014)

S.No.	District	From	Till	Days of tour programme	Camps held
1.	Rewa	13 May 13	18 May 13	6	14
2.	Sidhi	19 May 13	24 May 13	6	20
3.	Singrauli	25 May 13	31 May 13	7	16
4.	Katni	18 Oct. 13	21 Oct. 13	4	19
5.	Satna	23 Oct. 13	26 Oct. 13	4	32
6.	Anuppur	7 Jan. 14	10 Jan. 14	4	Information awaited.
7.	Shahdol	12 Jan. 14	15 Jan. 14	4	-do-
			Total	**35**	**101**

Legal Aid And Legal Advice (Progress Report)

Financial Year	Legal Aid given	Legal Advice given
2013-14 (April to March)	15843 persons	57017 persons

Legal Literacy Camp Scheme (Progress Report)

Financial Year	Camps held	Benefitted persons
2013-14 (April to March)	3775	556777 persons

Micro Legal Literacy Camp Scheme (Progress Report)

Financial Year	No. of camps held	Benefitted person
2013-14 (April to March)	194	8383

Legal Literacy/Awareness Camp Scheme Under Mgnerga (Progress Report)

Financial Year	No. of camps held	Benefitted person
2013-14 (April to March)	208	37703

Parivarik Vivad Samadhan Kendra Yojna (Progress Report)

Session	Total Settled applications	Total Benefitted Persons
2013-14 (April to March)	397	760

Magistrate Nyayalayon Me Vidhik Sahayta Adhivakta Yojna (Progress Report)

Session	Total Settled Cases	Total Benefitted Persons
2013-14 (April to March)	886	949

Zila Vidhik Paramarsh Kendra Yojna (Progress Report)

Session	Total Settled Applications	Total Benefitted Persons
2013-14 (April to March)	10951	12780

Crime Cell against Labourers (Progress Report)

Session	Total Settled Applications	Total Benefitted Persons
2013-14 (April to March)	238	256

Child & Women Protection Unit (Progress Report)

Session	Total Settled Applications	Total Benefitted Persons
2013-14 (April to March)	212	229

Vivad Viheen Gram Yojna (Progress Report)

Session	No. of Villages Declared Vivad Viheen
2013-14 (April to March)	Nil

Publication of Books & Legal Literacy Literature:

M.P. State Legal Services Authority has published many books and Legal Literature for imparting Legal Literacy and Legal Knowledge of various schemes of NALSA and SLSA. These books are:

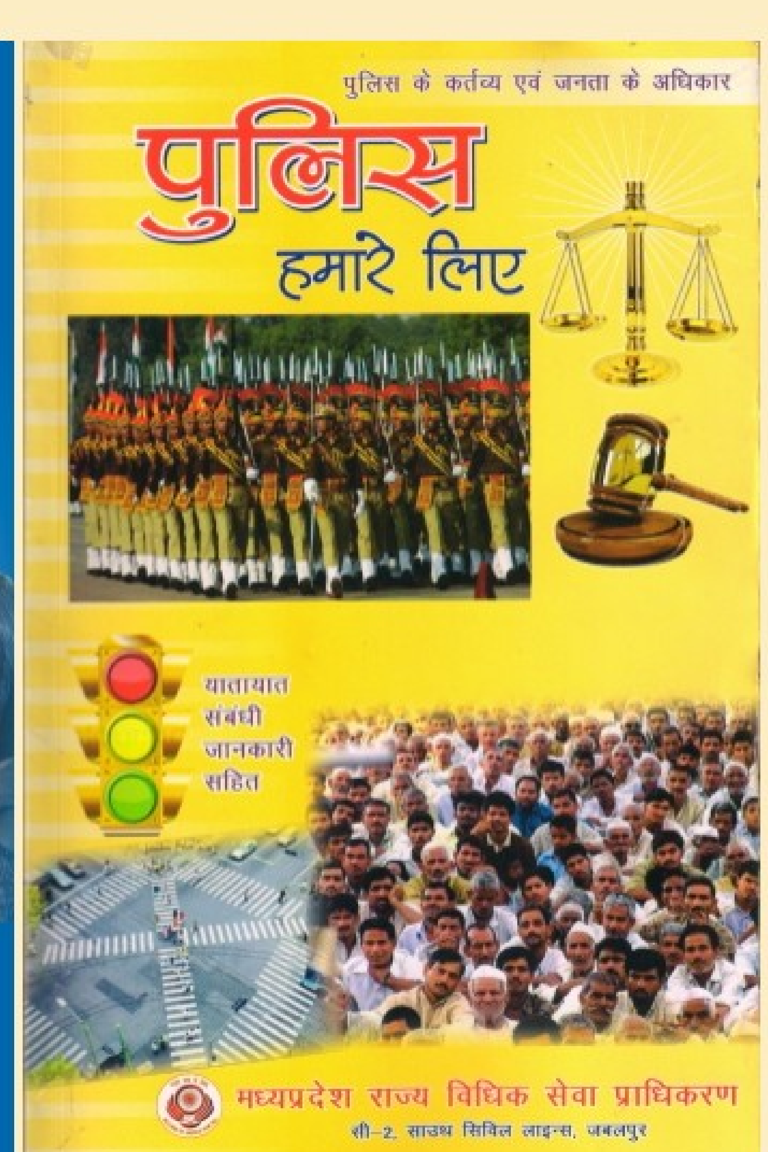

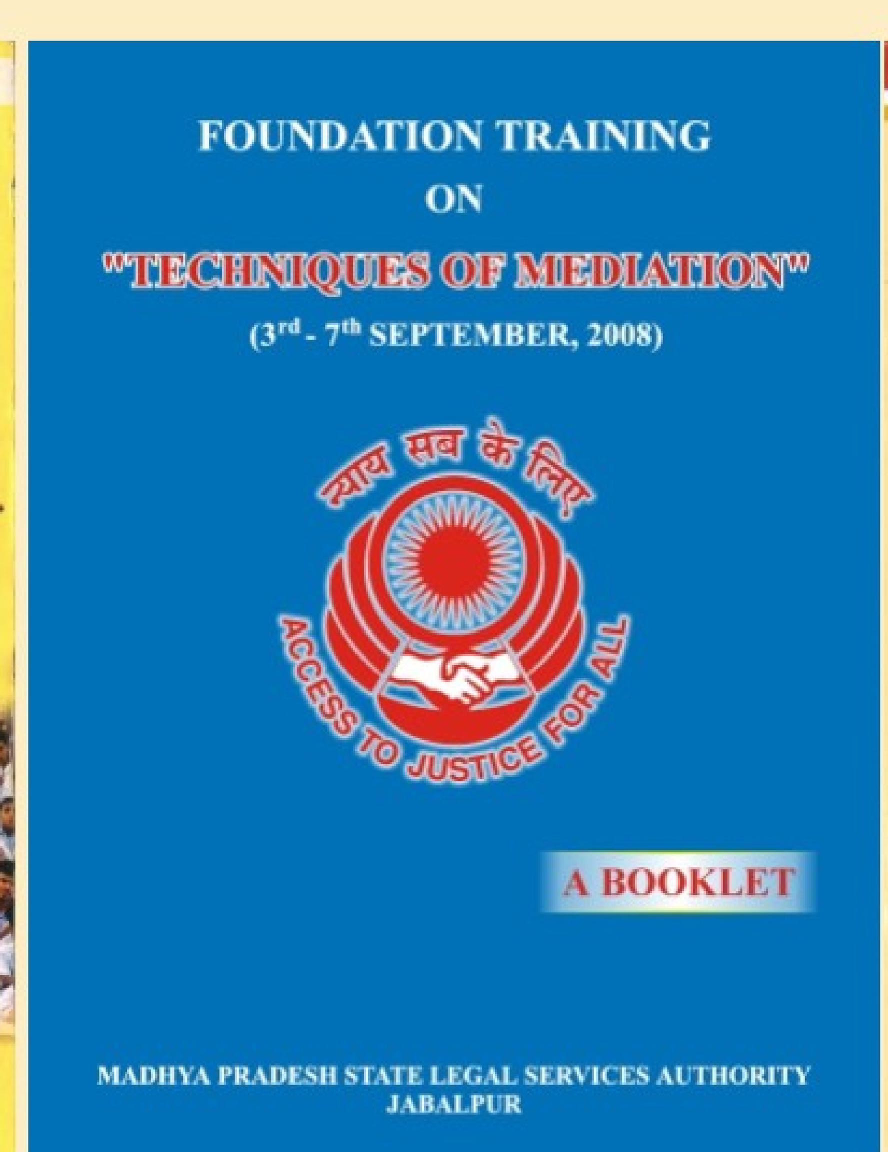

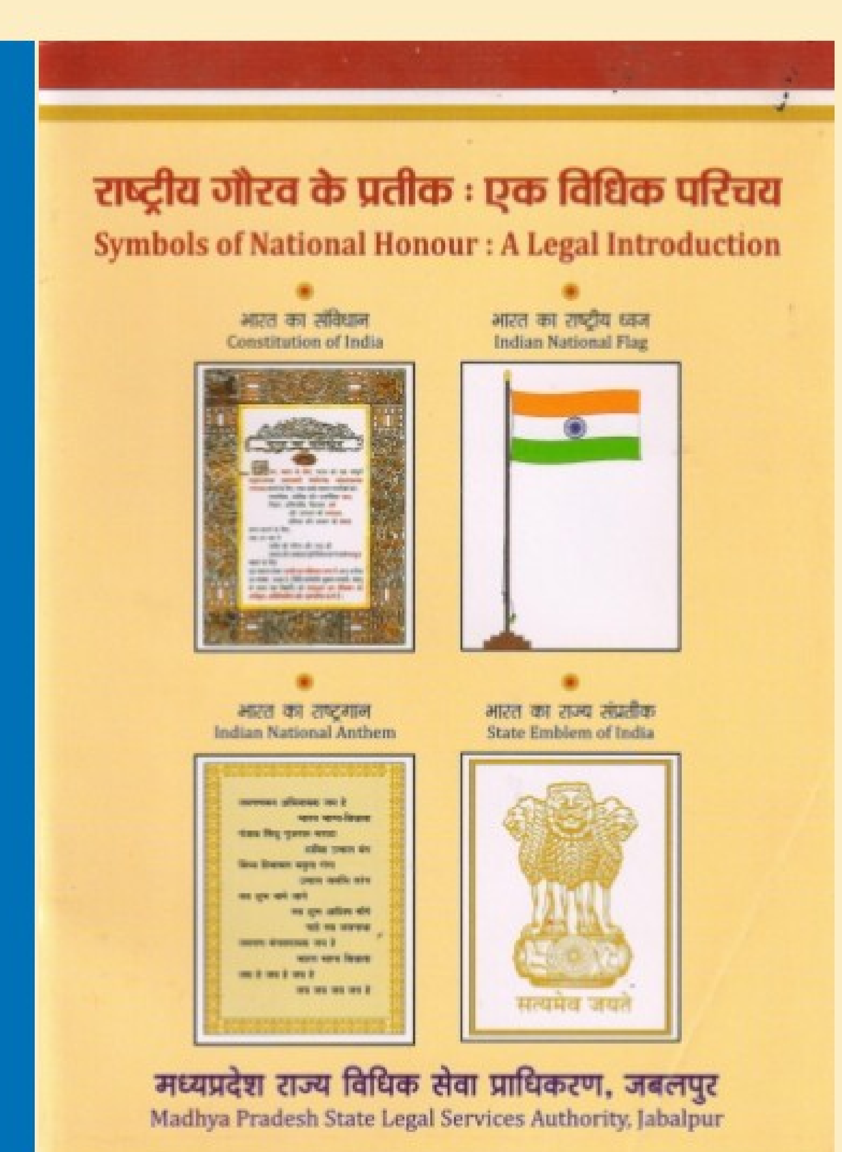

Calendar of Activities for The Forth Coming Quarter (April 2014 To June 2014)

APRIL

- Strengthen the Legal Services Clinics at level of DLSAs and the Village Legal Care and Support Centres by -
  1) Performance audit of the DLSAs and Village Legal Care and Support Centres.
  2) Provision of quality legal service whether rendered by the PLV or by the Panel Lawyer
  3) Outreach to the maximum number of people covering as many villages as possible.
  4) Meeting of Chairman, DLSA once a month with the PLVs and Panel Lawyers to evaluate their progress reports.
- Collect detailed annual report all DLSA by 30th April 2014 and conduct performance audit of the DLSAs making them responsible and accountable for the implementation of the Schemes and Regulations of NALSA.
- Organize legal literacy and awareness programmes with special emphasis on fundamental duties in Jail in coordination with other concerned departments.
- Organize jail inspection by every DLSA to improve quality of life of persons incarcerated in jails and eliminate every possibility of suicide in jail.
- Organize training programme for Para Legal Volunteers on fundamental duties.
- Organize Lok Adalat SLSA

MAY

- Observance of "International Labour Day" on 1st May 2014 suitable programmes to be organized with the support of Labour Deptt.
- Observance of "Anti-Tobacco Day" on 3rd May 2014.
- Organize Lok Adalat relating to labour Disputes with the co-operation of concern Govt. Deptt.
- Organize training programme for Para Legal Volunteers.
- Organize a workshop on Cyber Law and Crimes. With the help of cyber crime cell of police department.

JUNE

- Observance of "World Environment Day" on 5th June 2014
- Observance of "World Day against Child Labour on 12th June 2014"
- Organize awareness programmes related to women and children in need of care and protection with the cooperation of Women and Child welfare department as well as Social welfare department.
- Coordinate with the officials of Women and Child welfare department and Social welfare department to evaluate implementation of beneficial provisions for women and children in need of care and protection with focus on Rehabilitation of Street Children

* Organize Lok Adalat

* Organize motivation programme for Para Legal Volunteers.

LOOKING AHEAD

THE ROAD LESS TRAVELLED

The then Portfolio Judge Hon'ble Mr Justice Ajit Singh (Now Executive Chairman, MPSLSA) with the then District Judge Rewa (now Hon'ble Mr. Justice Sushil Palo) accessing difficult terrain for a literacy Camp, Rewa

SMILES OF THANKFULLNESS - OUR ACHIEVEMENT!

A Beneficiary in one of the Legal Aid Camps

एक नजर में ... जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की गतिविधियां

- **अलीराजपुर**

जिला प्राधिकरण अलीराजपुर द्वारा बंदियों के लिए प्ली–बारगेनिंग विषय पर, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता पर, घरेलू हिंसा, महिला एवं बच्चों की सुरक्षा, पीएनडीटी एक्ट, एंटी रैगिंग, मनरेगा इत्यादि पर विविध जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

- **अनूपपुर**

शासन की कल्याणकारी योजनाओं, मनरेगा, अजा, अजजा व पिछड़े वर्गों हेतु जागरूकता कार्यक्रम के अतिरिक्त मीडिएशन पर सेमीनार, एडीआर पर जागरूकता शिविर, एड्स, बालश्रम, पर्यावरण इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

- **अशोकनगर**

विभिन्न विषयों पर जागरूकता शिविर, बालदिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस इत्यादि का आयोजन।

- **बड़वानी**

पैरालीगल प्रशिक्षण, वनसंरक्षण, बाल दिवस, मानवाधिकार दिवस इत्यादि का आयोजन किया गया।

- **बैतूल**

महिलाओं एवं बच्चों, श्रमिकों, पर्यावरण संरक्षण, मनरेगा, महिला दिवस, किन्नर समुदाय इत्यादि हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये गये।

- **भिण्ड**

बाल श्रमिकों, पीसी/पीएनडीटी एक्ट, मनरेगा, पर्यावरण, वन संरक्षण, रैगिंग, एड्स, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों, किन्नरों कैदियों के अधिकारों व प्ली–बारगेनिंग इत्यादि पर कार्यक्रमों का आयोजन।

- **भोपाल**

बंदियों, संवैधानिक अधिकारों, कर्तव्यों, शिक्षा के अधिकार, लीगल एड क्लीनिक, पैरालीगल वालेंटियर्स, घरेलू हिंसा, महिलाओं, बच्चों इत्यादि पर विभिन्न जागरूकता एवं कार्यक्रमों का आयोजन।

- **बुरहानपुर**

महिलाओं, बच्चों के अधिकारों, मानसिक नि:शक्त व्यक्तियों, पर्यावरण संरक्षण, विभिन्न विधियों इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

- **बालाघाट**

शासन व विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, श्रमिकों की समस्याओं, मनरेगा, लोक अदालत, स्वास्थ्य सुरक्षा, पर्यावरण, रैगिंग, घरेलू हिंसा, प्ली–बारगेनिंग इत्यादि विषयों पर कार्यक्रमों, जागरूकता शिविरों के आयोजन के साथ ही मोबाइल लोक अदालत द्वारा प्रचार–प्रसार।

- **छतरपुर**

स्कूलों–कालेजों में रैगिंग, जेल, पर्यावरण, महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित विषयों पर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम।

- **छिंदवाड़ा**

वृद्धजनों, महिला–बच्चों, बंदियों, मानसिक अस्वस्थ व्यक्तियों, पर्यावरण संरक्षण, पेंशनर, किन्नर समुदाय, लोक अदालत इत्यादि से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम, शिविरों का आयोजन।

- **दमोह**

मनरेगा, शिक्षा के अधिकार, वरिष्ठजनों, किन्नरों, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं एवं बच्चों की देखभाल, प्ली–बारगेनिंग इत्यादि विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

- **दतिया**

भ्रूण हत्या, पर्यावरण, प्ली–बारगेनिंग, एंटी रैगिंग विधियों, महिलाओं–बच्चों, स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की उपलब्धता, एड्स, मनरेगा एवं जेल में विभिन्न शिविरों/ कार्यक्रमों का आयोजन।

- **देवास**

प्ली–बारगेनिंग, घरेलू हिंसा, ग्राम न्यायालय अधिनियम, महिलाओं–बच्चों की सुरक्षा, नि:शुल्क विधिक सहायता, लैंगिंग अपराधों, संगठित–असंगठित क्षेत्र में कार्यरत् महिलाओं एवं वनवासियों के अधिकारों के अतिरिक्त बच्चों, बंदियों इत्यादि पर विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन।

- **धार**

शासन एवं विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं प्ली–बारगेनिंग, मनरेगा, महिलाओं–बच्चों, नशामुक्ति, रैगिंग, एड्स, वृद्धजनों, घरेलू हिंसा इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रम/शिविरों का आयोजन।

- **डिण्डौरी**

पैरालीगल वालेंटियर्स, पैनल लॉयर्स, पर्यावरण संरक्षण, मनरेगा, वरिष्ठ नागरिकों, घरेलू हिंसा, प्ली–बारगेनिंग, बाल विवाह, महिलाओं के अधिकार आदि विषय पर विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन। साथ ही मानवाधिकार दिवस, विश्व विकलांगता दिवस इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

- **गुना**

बंदियों के अधिकारों, पर्यावरण संरक्षण, प्लीबारगेनिंग, एड्स, नि:शक्त व्यक्तियों के अधिकारों, वन अपराधों, मौलिक कर्तव्यों, महिलाओं–बच्चों इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन।

अखबारों की नजर से ......

विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

जागृति, हरदा

जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण योगेश कुमार सोनगरिया के निर्देशन में अंतराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज गृह विज्ञान शिक्षण संस्थान हरदा में महिलाओं के लिये विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। उक्त शिविर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केएस शाक्य एवं न्यायाधीश,सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएल सोनिया द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनसे संबंधित कानूनों जैसे घरेल हिंसा एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से बताया। श्री सोनगरिया ने बताया कि महिलाओं को आगे बढकर अपने विरुद्ध हो रही हिंसा तथा अपराधों की रिपोर्ट पुलिस में तथा संबंधित अधिकारियों को करें। इसके लिये महिलाओं को अपने अधिकारों की जानकारी होना आवश्यक बताया तथा बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देने के संबंध में कहा। इस अवसर पर पैरालीगल वालेन्टियर्स एवं सामाजिक कार्यकर्ता कुसुम केशवरे भी उपस्थित थी।

जेल से मिली रिहाई तो जुड़ गए हाथ, भर आईं आंखें

आजादी के मायने क्या होते हैं? 17 साल, 11 महीने और 29 दिनों तक जेल की चारदीवारी के भीतर रहने वाली महिला बंदी से भला बेहतर और कौन जान सकता है। 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला को जब जस्टिस अजीत सिंह ने जेल से रिहाई का संदेशा सुनाया तो उसके हाथ आपस में जुड़ गए और आंखें छलक पड़ीं।

राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में 55 दंपति फिर से हमसफर बनकर घर लौटे

भूले तलाक, अब हम रहेंगे साथ-साथ

ग्वालियर। कुटुम्ब न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी देने वाले 55 दंपति राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में फिर से हमसफर बन गए। एक दूसरे से वियोग के अहसास और बच्चों की खातिर दोनों पक्षों ने फिर से एक दूसरे को गले लगाते हुए जीवन की नई शुरुआत का निर्णय लिया। अदालत में ही जब पति ने पत्नी के गले में फूलों का हार पहनाया, तो दोनों के चेहरों पर मुस्कराहट फूट पड़ी। राजीनामा करने वाले प्रत्येक जोड़े को न्यायालय की ओर से सुहाग का जोड़ा (मंगल भेंट) प्रदान की गया। जिला न्यायालय परिसर में ऐसे 10 दंपतियों को न्यायामूर्ति एसके गंगेले ने सम्मानित किया।

55 » पेंशन के मामले निपटे

10 » दंपतियों का हुआ सम्मान

ग्वालियर बिना तराशा कोहिनूर : गंगेले

कोहिनूर जब अपने रंग में होता है, तभी उसका सौंदर्य समझ में आता है और वह रंग तब खिलता है, जब कोहिनूर को तराशा जाता है। बिना तराशा कोहिनूर पत्थर जैसा ही नजर आता है। ग्वालियर शहर ऐसा ही एक कोहिनूर है। इसे तराशने की जरूरत है। हालांकि शहर में तेजी से बदलाव आ रहा है, विकास भी हो रहा है। लेकिन सबको सामूहिक प्रयास करने की जरूरत है। यहां लोक अदालत की सफलता भी किसी एक का नहीं बल्कि सभी की सामूहिक मेहनत का नतीजा है।

हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायमूर्ति एसके गंगेले ने शनिवार को लोक अदालत में राजीनामा करने वाले प्रमुख मामलों के पक्षकारों का सम्मान करते हुए यह बात कही। इस दौरान जस्टिस गंगेले ने लोक अदालत के सफल आयोजन में योगदान देने वाले विभिन्न विभागों के अधिकारियों को भी सम्मानित किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जगदीश बाहेती ने कहा कि घिसती चप्पलें और खाली होती जेबें ही लंबे समय तक चलने वाले ज्यादातर केसों का परिणाम होती हैं। ऐसे में आपसी सुलह समझौते से विवाद का निराकरण करना ज्यादा बेहतर होता है।

एक मुस्कराहट से सुलझ गया 34 साल पुराना केस

केस सुलझ जाने के बाद पूर्व महापौर भारत भूषण भार्गव को पौधा देकर सम्मानित किया गया।

34 साल पुराना केस राष्ट्रीय मेगा लोक अदालत में बस एक मुस्कराहट से सुलझ गया। शहर के पूर्व महापौर भारत भूषण भार्गव ने अपने भतीजे मोहित भार्गव के विरुद्ध 22 दिसंबर 1979 को पार्टनरशिप तोड़ने और मनी रिकवरी के लिए दो अलग-अलग दीवानी मुकदमे दायर किए थे। तब से यह केस न्यायालय में लंबित थे। शनिवार को न्यायाधीश जगदीश बाहेती ने मुस्कराते हुए कहा कि राजीनामा करोगे? बहुत समय हो गया अब मान भी जाइए, बस मैंने फैसला कर लिया कि अब आगे केस नहीं लड़ना।

सास बोली, प्यार से तो मांग, सब वापस कर दूंगी

पिछले ढाई साल से मृत पति के धन संपत्ति में उत्तराधिकार के लिए आपस में झगड़ रही बहू और सास के बीच संपत्ति बंटवारे के केस में शनिवार को सुलह हो गई। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में जज साहब के कहने पर बहू ने जब सास के पैर छुए तो, सास का दिल भी पसीज गया। कोर्ट की समझाइश पर दोनों ने आपसी सहमति से फैसला किया कि मृतक आकाश की एफडीआर और बीमा पॉलिसी की रकम (करीब 15 लाख) में से दो तिहाई हिस्सा उसकी पत्नी (बहू) व बेटे को और एक तिहाई हिस्सा मां (सास) मिलेगा। बहू ने कोर्ट में कहा कि दहेज में मुझे मायके से मिले जेवर हार, अंगूठी और चूड़ी भी सासू मां के पास हैं, तो सास बोली मैं क्या उन्हें साथ ले जाऊंगी, प्यार से तो मांग, सब वापस कर दूंगी।

मेगा लोक अदालत के दौरान जस्टिस एसके गंगेले और सीनियर एडवोकेट केएन गुप्ता की न्यायपीठ के सामने यह रोचक घटना घटी। लश्कर के राजपायगा रोड निवासी उषा जैन (सास) और दीपा जैन (बहू) के बीच पहले जिला न्यायालय में डेढ़ साल तक यह केस चला। लेकिन नीचे की अदालत के फैसले से असंतुष्ट उषा जैन ने हाईकोर्ट में अपील की थी।

कुछ घंटों में सुलझे पेंशन के मामले

आत्म ज्योति कन्या आवासीय संस्थान की 55 नेत्रहीन छात्राओं के पेंशन आवेदन महीनों से संबंधित विभागों में लंबित थे। लेकिन शनिवार को मेगा लोक अदालत में सभी आवेदनों का तत्काल निराकरण करते हुए पेंशन जारी करने के आदेश हो गए। इसके साथ ही माधव बाल निकेतन और माधव अंधाश्रम के छात्रों के लंबित पेंशन मामलों का निराकृत करते हुए तत्काल पेंशन रिलीज करने के आदेश हो गए।

बिछुड़े, आज यहां आकर मिले

भुला दी कड़वी यादें पत्नी को भला-बुरा कहा तो वह घर छोड़कर चली गई। बात संभल पाती इससे पहले बिगड़ गई। मामला कुटुंब न्यायालय पहुंचा और शनिवार को बिरला नगर निवासी दीपक नरवारे ने कड़वी यादें भुलाते हुए पत्नी संगीता को फिर अपना लिया।

कसम खाई तो साथ आई पति ने कंजूसी छोड़ने की कसम खाई, तो पत्नी ने कम पैसे में घर चलाने का वादा किया। डेढ़ साल से एक दूसरे से अलग रह रहे सुनीता और जसराज शनिवार को एक हो गए। इससे पहले न्यायालय की समझाइश पर कुछ दिन साथ रहे थे।

छह साल बाद हुए एक मरीमाता महलगांव निवासी महेशचंद कैन और मधु कैन छह साल तक अलगाव के बाद एक हो गए। लोक अदालत में महेश ने मधु को माला पहनाई और दोनों ने आगे एक दूसरे से कभी ना झगड़ने का वादा किया।

डीआरडीई दे पौने 7 करोड़ मुआवजा

डीआरडीई के 200 मीटर के दायरे में जमीन होने और उस पर निर्माण करने की एनओसी न देने के एक मामले में कलेक्टर ने डीआरडीई को पौने सात करोड़ रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। एक अखबार के मालिक चंद्रप्रकाश शिवहरे की जमीन सिटी सेंटर स्थित निगम ऑफिस के पास है। ये जमीन डीआरडीई के 200 मीटर के दायरे में ही आती है। डीआरडीई के अपने कई नियम हैं जिनके अनुसार उसके 200 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के निर्माण की अनुमति वे नहीं देते हैं। यह मामला पिछले काफी समय से पेंडिंग चल रहा था। मेगा लोक अदालत के कारण यह मामला शनिवार को कलेक्टर न्यायालय में पहुंचा। जहां कलेक्टर ने पाया कि डीआरडीई का यह नियम लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और निर्माण की एनओसी न देने के कारण पीड़ित चंद्रप्रकाश शिवहरे के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है। ऐसे में कलेक्टर ने अपने आदेश में डीआरडीई को चंद्रप्रकाश शिवहरे को पौने सात करोड़ रुपए बतौर मुआवजा देने के आदेश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर न्यायालय में 147 मामलों का निराकरण हुआ।

करोड़ों की बिलिंग 75 लाख में निपटी

बिजली कंपनी के करोड़ों की बिलिंग के प्रकरण नेशनल मेगा लोक अदालत में निपट गए, हालांकि यह बात और है कि बिजली कंपनी को कैश केवल 75 लाख ही मिला है।

» **इन सर्किलों के निपटे प्रकरण:** साउथ के 296 केसों का निराकरण हुआ। जिनकी बिलिंग थी 83 लाख 20 हजार। ईस्ट के 900 प्रकरणों का निराकरण हुआ। जिनकी बिलिंग 7 करोड़ 26 लाख थी। नोर्थ सर्किल के 628 केसों का निराकरण हुआ। जिनकी बिलिंग राशि 2 करोड़ 97 लाख थी। सेन्ट्रल सर्किल के 339 प्रकरणों का निराकरण हुआ। इनकी बिलिंग राशि 85 लाख थी।

» **बीपीएल के मामले निपटे:** नेशनल मेगा लोक अदालत में बीपीएल कार्डधारियों के बिजली प्रकरणों का भी निराकरण हुआ। शासन ने बिलों का माफ कर दिया है।

» **पिछले साल के मुकाबले बढ़ी वसूली:** पिछले साल बिजली कंपनी का दिसंबर माह में राजस्व आय लगभग 37 लाख थी जबकि 2013 में 40 करोड़ 57 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ है।

बिल 42 हजार, क्यों नहीं भेजा नोटिस

ग्वालियर। जिला एवं सत्र न्यायालय में आयोजित नेशनल मेगा लोक अदालत में ऐसे सैकड़ों लोग मौजूद थे जिन्होंने कई महीनों से इस आस में बिजली का बिल जमा नहीं किया था कि अगली बार लोक अदालत लगने पर छूट का लाभ लेकर बिजली का बिल जमा करेंगे। लेकिन यहां पहुंचने पर बिजली कंपनी के अधिकारियों ने उन्हें लौटा दिया। क्योंकि इस मामले में न्यायाधीश श्री बाहेती पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि बकायादारों के मामले नहीं लिए जाएंगे।

» **15 हजार वाले को नोटिस हमें क्यों नहीं:** विनय नगर से आए रामसेवक सिंह ने बताया कि जिनके 15 हजार बकाया है उनको नोटिस भेजा गया है लेकिन हमारा 42 हजार बकाया है फिर भी नोटिस नहीं दिया है। नोटिस नहीं है इसलिए हमें छूट का लाभ भी नहीं दिया जा रहा है।

» **बिल पूरा जमा करना होगा:** बिजली कंपनी के महाप्रबंधक पीके तिवारी ने कहा कि बकायादारों को छूट का लाभ नहीं मिलेगा, बिल तो पूरा जमा करना पड़ेगा लेकिन इसके बाद भी लोग पहुंच रहे थे।

मेगा और राष्ट्रीय लोक अदालत : 600 प्रकरणों में राजीनामे का प्रयास, 77 केस में पारित

46 दंपतियों की जिंदगी में फिर लौटी खुशी

इंदौर। मेगा व राष्ट्रीय लोक अदालत में शनिवार को सवा लाख से अधिक केसों के निपटारे का दावा किया है। इसमें होलकर घराने की संपत्ति का 29 साल पुराना विवाद भी सुलझाया गया। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार वर्मा द्वारा जज पर लगाए गए मानहानि के केस में भी सुलह हो गई। उधर, पति-पत्नी के बीच चल रहे सालों पुराने झगड़े कुटुम्ब न्यायालय में निपटाए गए। कुल 46 जोड़े खुशी-खुशी घर को रवाना हुए। कुछ ने बच्चों की खातिर तो कुछ ने दाम्पत्य जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए समझौता कर लिया। एक मामले में दृष्टिहीन पति को छोड़कर गई पत्नी फिर से उसकी 'रोशनी' बनकर लौट आई।

पहले और अब में फासला

केस	15 दिसं-12	30 नवं-13
[illegible]	26,447	46,348
चेक अनादर	9081	4,146
बिजली	11957	7675
मोटर दुर्घटना	1238	1664
सिविल केस	262	105
आपराधिक	13,268	2,317
राजस्व	19,412	20,000
[illegible]	7,135	3328
[illegible]	96	389
[illegible]	123	77
[illegible]	75	300

104 करोड़ रुपए के समझौते

परिवार में लौटी खुशियां

चार साल बाद जिंदगी पटरी पर

साथ-साथ रह पर

बेटियों की खातिर मिले

दूर हुआ मनमुटाव, फिर साथ मिला दृष्टिहीन पति को

अपनों को मिला सबसे अधिक न्याय

पक्षकारों को इतना लाभ

सरकारी दावों में समझौते चौक

पर पहुंचकर झगड़ पड़े

निर्दयी पिता ने आज तक नहीं देखा बेटी का चेहरा

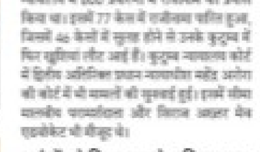

एक दिन में निगम ने कमाए चार करोड़

जिला कोर्ट में तुलसी के पौधे बांटती महिला।

प्रचार के लिए वक्त कम मिला

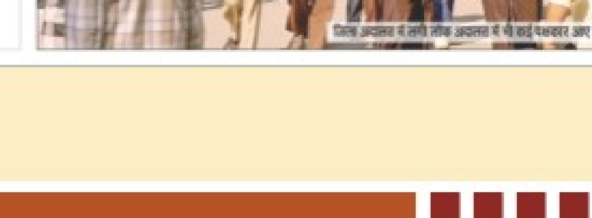

जिला अदालत में लगी लोक अदालत में भी कई पक्षकार आए।

मेगा लोक अदालत

60 करोड़ से अधिक के अवार्ड हुए पारित
एक दिन में मिली कई लोगों को राहत

छह घंटे में निपटे 70 हजार मामले

जिला अदालत में शनिवार को मेगा लोक अदालत का आयोजन किया गया। फोटो : नवदुनिया

भोपाल (नप्र)। कोर्ट-कचहरी में छोटे-छोटे मामलों में परेशान हो चुके लोगों के लिए शनिवार का दिन राहत भरा रहा। जिला न्यायालय में लगी मेगा लोक अदालत में महज 6 घंटे में करीब 70 हजार मामलों का निपटारा हो गया। मसला निपटने से लोग सुकून से घर पहुंचे। इस दौरान पक्षकारों को करीब 60 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अवार्ड भी पारित किए गए। कुटुम्ब न्यायालयों ने भी पति-पत्नी के बीच वर्षों से चल रही कड़वाहट को मिटाकर परिवार को टूटने से बचा लिया। हालांकि इस बार भी निजी बैंको, फायनेंस कंपनी और दूरसंचार कंपनियों के एजेंट लोक अदालत की आड़ में पक्षकारों से दबंगई करते देखे गए। इससे कुछ लोग व्यवस्था के प्रति खफा भी हुए।

जिला अदालत में आयोजित लोक अदालत में रखे गए कुल 1 लाख 11 हजार 465 मामलों में से 70 हजार 910 मामलों का निपटारा किया जा सका। जिला अदालत में गठित 53 खंडपीठों ने दीवानी, फौजदारी मोटर दुर्घटना दावे, विद्युत अधिनियम सहित अन्य मामलों में दोनों पक्षों के बीच राजीनामे के आधार निपटारा किया। इनमें मोटर दुर्घटना दावा प्रकरणों में पक्षकारों को 21 करोड़ 32 लाख 61 हजार रुपए के अवार्ड पारित कर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान की गई। ... इसी प्रकार चेक बाउंस मामलों में दोनों पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर करीब 6 करोड़ 94 लाख 63 हजार से अधिक क्षतिपूर्ति राशि दिलाई गई। प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के माध्यम से विभिन्न बैंकों, दूरसंचार कंपनियों, विद्युत मण्डल और नगर निगम व अन्य शासकीय विभागों ने करोड़ों रुपए की वसूली की।

नगर निगम : एक दिन में 5 हजार से अधिक लोगों ने जमा किया संपत्तिकर

लोक अदालत में नगर निगम को एक दिन में 17 करोड़ 50 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। शनिवार को 5 हजार 882 लोगों ने सम्पत्ति कर जमा किया। इसके लिए निगम ने करीब 300 स्थानों पर शिविर आयोजित किए थे। यह शिविर वार्ड कार्यालयों और वार्डों के विभिन्न क्षेत्रों में लगे थे। इनमें निगम सम्पत्ति कर के बकाया के अधिभार पर 100 फीसदी तक की छूट दी।

बिजली कंपनी : 1500 प्रकरणों का निपटारा

बिजली व अन्य मामलों के करीब 1500 प्रकरणों का बिजली कंपनी ने निराकरण किया। यह प्रकरण भोपाल और इसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के हैं। इनसे करीब डेढ़ करोड़ की वसूली की गई। इसके शहरी क्षेत्र के भी कुछ प्रकरण लोक अदालत में आए।

बीएसएनएल : 2 हजार मामले

इसके अलावा जिला दूरसंचार कार्यालय ने बीएसएनएल के करीब 2000 उपभोक्ताओं के मामले लोक अदालत में पेश किए। इन उपभोक्ताओं पर करीब 25 लाख रुपए बकाया है। अधिकांश उपभोक्ताओं ने बकाया राशि जमा कर मामले का निपटारा करा लिया है।

नेशनल लोक अदालत की झलकियाँ .....

जबलपुर . रविवार . 01.12.2013 पत्रिका जबलपुर पत्रिका patrika.com 02

राष्ट्रीय लोक अदालत में बिछड़े दंपती हुए एक, दुर्घटना में घायल को मिला मुआवजा

चेहरों पर न्याय की चमक

1,140 टैक्स मामले सुलझे

नगर निगम में 1140 करदाताओं के टैक्स संबंधी मामलों का निराकरण किया गया। निगम मुख्यालय और 13 संभागीय कार्यालयों में करदाताओं ने 90 लाख से अधिक जमा किए। निगमायुक्त वेदप्रकाश ने बताया कि लोक अदालत में सम्पत्ति कर के 821, जलकर के 117, भवन नामांतरण के 70, कर आपत्ति के 80, नल कनेक्शन के दो और अन्य सुविधाओं के 50 मामले सुलझाए गए। करदाताओं को अधिभार से छूट का लाभ भी दिया गया।

नगर निगम के गढ़ा जोन में पहुंचा पक्षकार।

जबलपुर
jabalpur@patrika.com

प्रदेश की अदालतों में आयोजित नेशनल लोक अदालत में न्याय पाकर पक्षकारों के चेहरे पर अलग ही खुशी थी। शनिवार सुबह हाईकोर्ट और जिला अदालत में न्याय के महाकुंभ में हर कोई अपनी पीड़ा लेकर पहुंचा और न्याय पाकर राहत की सांस ली। कई ऐसे जोड़े आए जो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन समझाइश के बाद वे शेष जीवन हंसी-खुशी साथ रहने राजी हो गए। सड़क दुर्घटना में शारीरिक रूप से हुए विकलांगों को लोक अदालत में बड़ी राहत मिली जिसमें बीमा कंपनियों की ओर से अच्छा मुआवजा दिलवाया गया। चेक बाउंस, सिविल और आपराधिक प्रकरणों का भी निराकरण किया गया।

सैनिक को मिली राहत

सेना में रहते हुए अजीत चौहान एक कार दुर्घटना में विकलांग हो गए। इस कारण उन्हें नौकरी से हाथ धोना पड़ा। सेना ने 9 हजार रुपए मासिक पेंशन तय कर दी। प्रकरण लोक अदालत में आया जिसमें उसे 7 लाख 50 हजार रुपए का मुआवजा प्रदान किया गया।

एक हुए तो बांटी मिठाई

पिछले आठ साल से पति आशीष से नाराज रश्मि अलग रह रही थी। उसकी नाराजगी सिर्फ इतनी थी कि पति उसे समय नहीं दे पाता। दोनों के बीच तलाक के लिए निचली अदालत में प्रकरण चल रहा था। हाईकोर्ट में जस्टिस अजित सिंह और आरके वर्मा की खंडपीठ की समझाइश पर दोनों एक साथ रहने राजी हो गए। दोनों ने कोर्ट में मिठाई बांटकर सभी के साथ खुशी मनाई।

पहले 'दुर्गा' से कनेक्शन काटो

हाईकोर्ट में एक अजीबो-गरीब मामला आया, जिसमें सुलह नहीं हो सकी। एक पति अपनी पत्नी से इसलिए अलग होना चाहता था क्योंकि पत्नी हर समय 'मां दुर्गा' को ही भजती रहती है। नोटिस जारी होने पर दोनों अदालत तो आए, लेकिन पति ने कहा कि जब तक पत्नी दुर्गा से अपना कनेक्शन नहीं काटती, तब तक वह साथ नहीं रहेगा।

जिला अदालत में उमड़े पक्षकारों के कारण लगी वाहनों की कतार। -पत्रिका

उम्र से तय हुआ मुआवजा

वर्ष 2012 में सड़क दुर्घटना में 24 वर्षीय पूनम बैरागी ने घुटने के नीचे से अपना बायां पैर खो दिया। पनागर में रहने वाली पूनम को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। पीड़िता की कम उम्र को देखते हुए उसे 10 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने पर कंपनी राजी हो गई। पीड़िता की ओर से अधिवक्ता अर्जुन साहू ने पक्ष रखा।

मप्र हाईकोर्ट में आयोजित लोक अदालत में सुनवाई करते जस्टिस केके लाहोटी। -पत्रिका

हाईकोर्ट में 2500 प्रकरण निपटे

मप्र हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस अजित सिंह के मार्गदर्शन में मुख्यपीठ जबलपुर मे लोक अदालत के लिए 16 खंडपीठें गठित की गई थीं। इनमें कुल 45 सौ प्रकरण सुनवाई के लिए रखे गए थे, जिनमें से 25 सौ प्रकरणों का अंतिम निराकरण किया गया।

पैर नहीं तो कैसे करें टाइपिंग

सीहोर के कैलाश जावरिया अपनी पत्नी संगीता के साथ लोक अदालत में आए। कैलाश जब 24 साल का था तब से नौकरी कर रहा है, लेकिन उसे प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं दिया गया। टाइपिंग का सर्टिफिकेट नहीं होने पर उसे लाभ नहीं दिया गया। कैलाश कृषि उपज मंडी में लिपिक पद पर पदस्थ है। लोक अदालत में उसने कोर्ट को बताया कि वह 75 प्रतिशत विकलांग है, ऐसी स्थिति में वह टाइपिंग का कोर्स नहीं कर सकता। अदालत ने उसकी पीड़ा को देखते हुए उसे नियुक्ति दिनांक से सभी लाभ देने के आदेश दिए।

मामले का निपटारा होने के बाद जिला अदालत में पक्षकारों को पौधे दिए गए।

अलग से निपटे 28 लाख मामले

नेशनल के साथ-साथ प्रदेश में मेगा लोक अदालत का आयोजन भी किया गया। इसके तहत शासन के विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कुल 28 लाख 43 हजार पत्रों, आवेदनों और मामलों का निराकरण भी किया गया। इनमें नगर निगम, राजस्व, शिक्षा, खाद्य, कृषि, लोक सेवा, ऊर्जा विभाग आदि शामिल हैं।

सीजे ने लिया जायजा

मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर ने भी कुछ प्रकरणों पर सुनवाई की। इसके बाद दोपहर में उन्होंने हाईकोर्ट और जिला अदालत में चल रही लोक अदालत की प्रक्रिया का जायजा भी लिया। इस दौरान उन्होंने न्यायाधीशों को महत्वपूर्ण टिप्स भी दिए।

जिला व तहसील मुख्यालय में निपटे 26,596 प्रकरण

जिला व तहसील मुख्यालय एवं अन्य विभागों में 26,596 प्रकरण निराकृत किए गए। इनमें 6062 राजस्व प्रकरण, 5811 दांडिक प्रकरण और 14,722 अन्य प्रकरण शामिल हैं। सर्वाधिक 3430 प्रकरणों का एसडीएम जबलपुर के यहां निस्तारण किया गया। अपर कलेक्टर प्रथम के यहां 15, अपर कलेक्टर द्वितीय के यहां आठ मामले निपटाए गए। अधीक्षक भू-अभिलेख डायवर्सन के यहां 15 और जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी के यहां 294 प्रकरण निपटाए गए।

डीईओ कार्यालय में नहीं हुई सुनवाई

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रकरण न आने से सुनवाई भी नहीं हो सकी। विभाग ने छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, साइकिल वितरण, गणवेश आदि शासकीय योजनाओं से जुड़े मामले शनिवार सुबह 11 बजे तक जमा करने के आदेश जारी किए थे। विभाग अनुमान लगा रहा था कि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र कुछ प्रकरण पहुंचेंगे। इसे लेकर योजना प्रभारियों को भी उपस्थित रहने के निर्देश दिए थे। जानकारों का कहना है कि विभाग द्वारा इसका व्यापक प्रचार-प्रसार न किए जाने के कारण लोगों को जानकारी नहीं हो सकी।

अब नहीं होगी अपील

लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, जिसके विरुद्ध कोई अपील या पुनरीक्षण अर्जी दायर नहीं की जा सकती। इसमें प्रकरणों के निराकरण के लिए कोई शुल्क नहीं देना होता और पूर्व में दी गई कोर्ट फीस पक्षकार को वापस कर दी जाती है।

भोजन की भी व्यवस्था

एसपी ऑफिस स्थित परिवार परामर्श केंद्र में चाय-पानी से लेकर भोजन आदि की व्यवस्था की गई थी। प्रकरणों पर सुबह दस से शाम पांच बजे सुनवाई चली। केंद्र ने सभी लोगों को पोस्टकार्ड भेजकर बुलाया था। समझौते के बाद उन्हें इसका प्रमाण-पत्र भी दिया गया।

परिवार परामर्श केंद्र में आयोजित मेगा लोक अदालत में हुआ समझौता, 300 मामलों की हुई सुनवाई

गिले-शिकवे दूर फिर एक-दूजे के हुए 102 जोड़े

केस- 1
पत्नी चली जाती थी मायके

पनागर निवासी एक दंपती के रिश्ते में महज इस कारण खटास आ गई थी कि पत्नी बार-बार मायके चली जाती थी। इससे नाराज पति उसे साथ रखने से इनकार कर रहा था। एक साल से दोनों अलग-अलग रह रहे थे। परिवार परामर्श केंद्र के सदस्यों ने उनकी समस्याओं को सुना और समझा-बुझाकर साथ-साथ रहने के लिए राजी कर लिया।

केस- 2
नौकरी पसंद नहीं

कैंट के एक दंपती के बीच इस बात को लेकर झगड़ा था कि पत्नी नौकरी करती थी। शादी से पहले उसने नौकरी छोड़ देने की बात कही थी, पर बाद में उसने ऐसा नहीं किया। दोनों छह माह से अलग रह रहे थे। समझौते में तय हुआ कि पत्नी की नौकरी पर पति आपत्ति नहीं करेगा और पत्नी को हिदायत दी गई कि वह पति को भी पूरा समय देगी।

केस- 3
पति है शराबी, नहीं रखता ख्याल

सिहोरा से आए एक मामले में पति-पत्नी का रिश्ता शराब के चलते टूटने के कगार पर पहुंच गया था। पत्नी की शिकायत थी कि शादी के आठ साल बाद भी पति उसका ख्याल नहीं रखता। वह हर वक्त शराब के नशे में रहता है। इससे परेशान पत्नी दो साल से मायके में रह रही थी। समझौते के तहत पति ने शराब छोड़ने की कसम ली और पत्नी को वरमाला पहनाकर साथ ले गया।

परिवार परामर्श केंद्र में आपसी समझौते के बाद पति-पत्नी ने एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और खुशी-खुशी रवाना हुए। -पत्रिका

जबलपुर. पुलिस अधीक्षक कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र में आयोजित मेगा लोक अदालत में 102 जोड़ों ने गिले-शिकवे दूर कर एक-दूसरे को वरमाला पहनाई और वहां से एक साथ हंसी-खुशी निकले। लोक अदालत में कुल 300 मामलों की सुनवाई हुई। इस दौरान मौके पर एसपी हरिनारायणाचारी मिश्र, एएसपी सिद्धार्थ बहुगुणा, महिला थाने की टीआई लक्ष्मी यादव, परिवार परामर्श केंद्र प्रभारी अंशुमान शुक्ला, प्रो. हरि भटनागर, कर्नल मल्होत्रा आदि उपस्थित रहे।

PUBLISHED BY

MADHYA PRADESH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY, JABALPUR

C-2, South Civil Lines,Pin Code No.482001

Ph.No: 0761-2678352,2624131 FAX 0761- 2678537 E.mail- mplsajab@nic.in Website-wwwmpslsa.nic.in